उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण,
खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

.... कार्यवाहक अध्यक्ष

माननीय श्री अरूण सिंह रावत

............उपाध्यक्ष (प्रशासनिक)

<u>याचिका संख्या 02/एन0बी0/डी0बी0/2025</u>

शशिबर्धन अधिकारी (पुरूष) उम्र लगभग 57 वर्ष पुत्र श्री फकीर सिंह निवासी वार्ड नं0 56 मा0 कालिका ग्रीन कालौनी, जीतपुरनेगी रामपुर रोड हल्द्वानी, जिला नैनीताल हॉल तैनाती जलागम प्रबन्धन निदेषालय, अल्माड़ा प्रभाग अल्मोड़ा।

...................याची

बनाम्

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रमुख सचिव वन, सिविल सचिवालय 4–सुभाष मार्ग देहरादून जिला, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, वन मुख्यालय 85 राजपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. कहकशा नसीम, वन संरक्षक यमुना वृत्त 87 राजपुर रोड वन मुख्यालय देहरादून।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थितिः श्री पियुष तिवारी, विद्वान अधिवक्ता–याचीकर्ता
श्री किशोर कुमार, विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी–विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः फरवरी 19, 2026

मानननीय श्री राजेन्द्र सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष

प्रस्तुत याचिका याचिकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोष चाहने हेतु प्रस्तुत की हैः—

1) प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जारी पत्रांक दिनांक 23.08.2024 जो कि इस दावा याचिका के अनुलग्नक—1 के रूप में संलग्न है को रद्द (quashed) किया जाये।

2) उत्तरांचल वन विभाग समूह 'घ' के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2003 के अनुसार ऐसे कर्मी जिन्होनें याचिकाकर्ता के बाद हाई स्कूल की शैक्षिणक अर्हता प्राप्त की थी के ऊपर यथास्थान रखा जाये व तद्नुसार उनकी वर्ष, 2003 की नियमितीकरण की तिथि से याचिकाकता को नियमत मानते हुए वरिष्ठता दी जाये व उक्त तिथि से ही याचिकाकर्ता के पेंशन व अन्य सेवानिवृत्त लाभों की गणना की जाये।

3) प्रार्थी की पात्रता को यथास्थान नियुक्त करते हुए उसे वर्ष, 2003 से 22.01.2009 तक की मध्यवर्ती अवधि का बकाया वेतन 9 प्रतिशित ब्याज सहित दिया जाए।

4) कोई अन्य या आगे, आदेश या निर्देश जारी करें जो यह माननीय अधिकरण मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और माकूल समझे।

5) याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका की लागत का फैसला करें।

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य निम्न प्रकार हैंः—

2.1 याचिकाकर्ता वन विभाग, उत्तराखण्ड में वन दरोगा के पद पर कार्यरत है और वर्तमान में युनिट प्रभारी, ताड़ीखेत, जलागम प्रबन्धन परियोजना, अल्मोड़ा में सेवा स्थानान्तरण पर तैनात है।

2.2 मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 3634/1998 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुत्तो लाल 2006 (6) एस0सी0सी 337 के निर्णय दिनांक 21.02.2002 में वन विभाग में कार्यरत दैनिक श्रमिको जो 29 जून 1991 से पूर्व से विभाग में कार्यरत है, को समूह 'घ' के पदों पर विनियमितीकरण करने के आदेश पारित किये। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तरांचल वन विभाग (समूह 'घ' के पदों पर) दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2003 प्रख्यापित की गई व इसे दिनांक 19.02.2003 को अधिसूचित एवं प्रख्यापित किया गया। वन विभाग के तत्समय समूह 'घ' के पदा में नान–मैट्रिक अर्दली, चपरासी, ट्रैक्टर क्लीनर, चौकीदार आदि पद एवं मैट्रिक में वन रक्षक या अन्य रक्षक के पद शामिल थे। वर्ष 2003 में वन रक्षक के पद पर भर्ती हेतु अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 1980 (यथा संशोधित) प्रवृत्त थी, जिसका दिनांक 08.11.2002 के तहत अनूकूलन एवं उपांतरण किया गया। उक्त नियामावली के तहत तत्समय वन रक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी थे।

2.3 मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में वन विभाग में दैनिक श्रमिको के विनियमितीकरण हेतु राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख वन संरक्षक (उत्तरांचल) अध्यक्ष व मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल, वन संरक्षक उत्तरी कुमायूं, वन संरक्षक नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व व वन संरक्षक भागीरथी वृत्त सदस्य थे। उक्त समिति की पहली बैठक दिनांक 11.03.2003 को हुई व जिसमें नियमितीकरण हेतु कार्य योजना तैयार की गयी। उक्त बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 13.03.2003 को जारी किया गया। राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारियों (प्रभागीय वनाधिकारियों) से

विनियमितीकरण हेतु पात्र श्रमिकों की सूचिया मांगी व तदुपरान्त प्राप्त सूचियों को राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा संकलित कर एक संयुक्त सूची बनाई जिसमें 2803 दैनिक श्रमिक सूचीबद्ध थे। चयन समिति द्वारा उसमें से 2348 दैनिक श्रमिको को अपने पत्र संख्या दिनांक 08. 07.2003 से पात्र पाया। चयन समिति द्वारा मैट्रिक पास एवं नॉन मैट्रिक श्रमिको की सूची पृथक–पृथक तैयार की गयी जिसमें 1019 दैनिक श्रमिक, वन रक्षक पद पर विनियमितीकरण हेतु पात्र पाये, जिसकी अनन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी। इस सम्बन्ध में मुख्य वन सरक्षक गढ़वाल द्वारा पत्रांक दिनांक 30.10.2003 के तहत सूचना प्रमुख वन संरक्षक को भेजी। चयन समिति सदस्य/वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड द्वारा कुल 700 श्रमिको की वन रक्षक पद हेतु रोस्टर बार सूची तैयार की जो पत्रांक 7 सी/13 दिनांक 08 जुलाई, 2003 के अनुसार क्रमांक 1 से 300 तक एवं पत्रांक 23–TC/13 दिनांक 03.08.2003 से 301 से 700 तक मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं प्रशासन को भेजी गई। चयन समिति द्वारा वन रक्षक पद पर विनियमितीकरण हेतु दैनिक श्रमिकों का चयन कर कुल 8 सूचियां प्रस्तुत की जिनके आधार पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा वन रक्षक के पद पर विनियमितीकरण हेतु आदेश जारी किये।

2.4 चयन समिति द्वारा वर्ष 2004 में वन रक्षक पद पर विनियमितीकरण हेतु छठंवी सूची पत्रांक 319/TC दिनांक 30.12. 2003 से जारी की इसके उपरान्त पत्रांक 12.02.2005 के तहत सांतवी सूची जारी की गयी व फिर आठवी सूची जारी की गयी। इन सूचियों में भी क्रमशः 14, 18 व 02 दैनिक श्रमिक का नियमितोकरण किया गया। इस प्रकार कुल 571 दैनिक श्रमिको का वन रक्षक पद पर विनियमितीकरण किया गया। आरक्षित वर्ग के दैनिक श्रमिको का विनियमितीकरण 29.06.1991 एवं सामान्य वर्ग के श्रमिका का विनियमितीकरण 31.07.1986 तक ही किया गया। मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत विनियमितीकरण स्कीम में 29.06.1991 तक

कार्यरत एवं विनियमितीकरण कार्यवाही तक निरन्तर कार्यरत श्रमिको को जब–जब पद रिक्त होंगे तब–तब समूह 'घ' के पदो पर विनियमित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

2.5 राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा सामान्य वर्ग के श्रमिको का विनियमितीकरण 31.07.1986 तक ही किया गया जब कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार 29.06.1991 से पूर्व तक कार्यरत समस्त श्रमिको का विनियमितीकरण समूह 'घ' के पदा पर किया जाना था। समूह घ के पदो पर विनियमितीकरण हेतु वन रक्षक के सामान्य वर्ग के पद रिक्त होने के बावजूद राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा सामान्य वर्ग के श्रमिको का विनियमितीकरण नहीं किया गया। जबकि शासन द्वारा दिये गये निर्देशो में स्पष्ट किया गया था कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार जब–जब रिक्तिया होगी तब–तब समूह घ के पदों पर दैनिक श्रमिकों को विनियमित करने में कोई कठिनाई नही है। इस सन्दर्भ में अपर सचिव, वन द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 11.08.2004 में भी इसका उल्लेख किया। राज्य स्तरीय चयन समिति अध्यक्ष, मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 04.01.2004 के जिन कर्मिया का नियमितोकरण नही हो पाया था की सूचना मुख्य वन संरक्षक गढवाल एवं प्रशासन, प्रमुख वन संरक्षक, विनियमितोकरण समिति के सदस्यो व संम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को दी। याचिकाकर्ता के नाम के समक्ष चयन न होने का कारण दर्शाया गया कि वह विभाग में 10. 08.1986 से कार्यरत है। अतः वरिष्ठता में कनिष्ठ होने के कारण उसका चयन नही किया जा सकता। ऐसे दैनिक कर्मी जो सेवा में आने की दिनांक को निर्धारित अर्हता हाई स्कूल धारित नही करते थे, जबकि याचिकाकर्ता दैनिक कर्मी के प्रथम दिन से ही हाई स्कूल की योग्यता धारण करता था। यद्यपि याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा वर्ष 1985 में शरू की, परन्तु यदि उसकी सेवा की दिनांक 10.08.1986 भी मानी जाये तो भी वह उक्त दिनांक को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता

धारण करता था, परन्तु जिन कर्मियो ने याचिकाकर्ता के बाद भी यह शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की उनका भी नियमितोकरण कर दिया गया, परन्तु याचिकाकर्ता का नियमितीकरण नही किया गया। इस प्रकार के, 61 दैनिक श्रमिको की सूची याचिकाकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत माँगी गयी, जो कि उसे पत्रांक 05.10.2024 के तहत प्राप्त हुई, जिसमें उन 61 दैनिक कर्मीयो का उल्लेख है, जिन्होंने बाद में हाई स्कूल की शैक्षणिक अर्हता प्राप्त की व इस प्रकार वह याचिकाकर्ता से पहले नियमितोकरण हेतु अपात्र थे। राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा उत्तरांचल वन विभाग (समूह घ के पदो पर) दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2003 के नियम 4(1) का उलंघन करते हुए ऐसे श्रमिकों का चयन वन रक्षक के पदों हेतु किया गया जो सम्ह 'घ' के अन्तर्गत वन रक्षक के पद की शैक्षिक अर्हता विभाग में कार्य प्रारम्भ करने की तिथि को धारण नहीं करते थे, अपितु समुह 'घ' के अन्तर्गत अर्दली, चौकीदार आदि नान मैट्रिक शैक्षिक अर्हता के पदों पर नियुक्ति के पात्र थे।

2.6 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार एवं विनियमितीकरण नियमावली, 2003 के प्रावधानो के अनुसार समूह ''घ'' के अन्तर्गत वन रक्षक के पद हेतु 29.06.1991 से पूर्व वन रक्षक पद की शैक्षिक योग्यता धारण करने वाले श्रमिक ही पात्र थे, दिनांक 29.06.1991 के उपरान्त हाईस्कूल उत्तोर्ण करने वाले श्रमिक पात्रता सूची में नहीं आते थे मगर चयन समिति द्वारा ऐसे अपात्र श्रमिका का चयन भी वन रक्षक पद हेतु किया गया जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ ही नही, अपात्र भी थे। राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा मैट्रिक पास 1019 श्रमिका की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार की गई है जिसमें समिति द्वारा समूह 'घ' के पदो पर विनियमितीकरण हेतु 29. 06.1991 से पूर्व से कार्यरत श्रमिको को मैट्रिक एवं नॉन मैट्रिक शैक्षिक अर्हता के आधार पर कार्यवाही की। वन रक्षक पद हेतु शैक्षित

अर्हता रखने वाले 1019 श्रमिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार की जिसमें याचिकाकर्ता क्रमांक 504 पर दर्ज है।

2.7 राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा बिना अन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार किये ही मनमाने ढंग से नियुक्ति प्राधिकारियो को वन रक्षक के पद पर विनियमितीकरण हेतु सूचिया प्रस्तुत की जिसमें अनर्ह दैनिक श्रमिका के नाम भी शामिल होने के कारण अपात्र श्रमिक वन रक्षक पद पर नियुक्ति पा गये। दैनिक श्रमिको की अन्तिम ज्येष्ठता सूची RTI के तहत मांगे जाने पर विभाग द्वारा प्रदान नहीं की व अवगत कराया गया कि उक्त सूची उपलब्ध नही है। मा0 सूचना आयोग के निर्णय दिनांक 20.03.2024 के आलोक में लोक सूचना अधिकारी द्वारा तत्सम्बन्धी शपथ पत्र दिनांक 04.05.2024 भी दिया गया है। मा0 सूचना आयोग के निर्णय दिनांक 20.03.2024 व शपथ पत्र दिनांक 04.05.2024 भी पत्रावली पर उपलब्ध है। जिस तिथि को श्रमिक द्वारा विभाग में कार्य प्रारम्भ किया गया उस तिथि को वन रक्षक पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता की अनदेखी कर अनर्ह श्रमिको का वियिमितीकरण वन रक्षक के पद पर किया गया। सामान्य वर्ग के दैनिक श्रमिको के साथ भेदभाव कर सामान्य जाति के वन रक्षक के पद रिक्त होने के बावजूद याचिकाकर्ता का विनियमितीकरण वन रक्षक के पद पर नहीं किया गया । सामान्य वर्ग के वन रक्षक के पद रिक्त होने की सूचना, नियुक्त प्राधिकारियों/प्रभागीय वनाधिकारियों से RTI के तहत मांगी गई। याचिकाकर्ता का राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा तैयार की गई हाई स्कूल पास 1019 श्रमिको की सूची मे वरिष्ठता क्रमांक 504 है तथा विभाग में अर्हता की तिथि 10.08.1986 है। मगर चयन समिति द्वारा याचिकाकर्ता से कनिष्ठ 580 क्रमांक पर दर्शित श्रमिक श्री त्रिलोक सिंह पुत्र जय सिंह, जिसकी विभाग में सेवा में आने की तिथि 01.04.1987 है एवं हाईस्कूल उत्तोर्ण करने का वर्ष 1991 है जो कि 29.06.1991 के उपरान्त हाईस्कूल परीक्षा उत्तोर्ण करने के कारण वन रक्षक की पात्रता लाईन

से अयोग्य थे तथा अन्य चतुर्थ वर्गीय पदो हेतु पात्रता धारण करते थे, को वन रक्षक के पद पर प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी की पत्र सं0 08/25–4–1 दिनांक 29.10.2003 से नियुक्ति दी गई।

2.8 वर्ष 2018 में याचिकाकर्ता का प्रत्यावेदन, मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा दिनांक 04.04.2018 से निस्तारित किया, जिसमें बिन्दु सं0 9 में उल्लेख किया गया है कि आपसे कनिष्ठ किसी भी दैनिक श्रमिक का विनियमितीकरण वन रक्षक के पद पर नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन का उक्त निस्तारण बिना अभिलेखो का संज्ञान लिये ही किया गया क्योंकि विभाग के पास दैनिक श्रमिको की अन्तिम ज्येष्ठता सूची ही नहीं थी। याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन के विधिवत निस्तारण हेतु प्रमुख सचिव, वन द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में दिनांक 20.02.2024 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को भी अपना पक्ष रखने हेतु आमंत्रित किया गया था व उसे पत्रांक दिनांक 06.02.2024 के तहत इस सन्दर्भ मे सूचित किया गया। उक्त बैठक में प्रमुख सचिव, वन द्वारा विभाग से उपस्थित मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन, श्री निशान्त वर्मा को यह निर्देश दिये कि प्रकरण का निस्तारण अपनी ओर से कर आख्या शासन को उपलब्ध करायें। उक्त क्रम में मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा चार सदस्यीय एक समिति श्रीमती कहकशां नसीम, वन संरक्षक, यमुना वृत्त की अध्यक्षता में गठित की गई। गठित समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट आपेक्षित आदेश दिनांक 23.08.2024 से प्रस्तुत की, जिसमें समिति द्वारा प्रत्यावेदन के मूल बिन्दुआ को उजागर नहीं किया तथा वर्ष 2003 में राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुचित कार्यवाही को ही सही मानते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की।

2.9 उतरांचल वन विभाग (समूह घ के पदा पर) दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2003 के नियम 4 (1) का उलंघन करते हुए ऐसे श्रमिकों का चयन वन रक्षक के पदों हेतु किया गया जो समुह 'घ' के अन्तर्गत वन रक्षक के पद की शैक्षिक अर्हता विभाग में कार्य प्रारम्भ करने की तिथि को धारण नहीं करते थे, अपितु समुह 'घ' के अन्तर्गत अर्दली चौकीदार आदि नान मैट्रिक शैक्षिक अर्हता के पदों पर नियुक्ति के पात्र थे। वर्ष, 2003 में वन रक्षक के पद पर भर्ती हेतु अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 1980 (यथा संशोधित) प्रवृत्त थी, जिसका कि दिनांक 08.11.2002 के तहत अनुकूलन एवं उपांतरण किया गया। उक्त नियामावली के तहत तत्समय वन रक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु दैनिक कर्मी को भर्ती के प्रथम दिन से ही हाई स्कूल की योग्यता धारण की जानी थी। याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा वर्ष 1985 में शुरू की, परन्तु यदि उसकी सेवा की दिनांक 10.08.1986 भी मानी जाये तो भी वह उक्त दिनांक को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करता था। जिन कर्मिया ने याचिकाकर्ता के बाद भी यह शैक्षिणिक योग्यता प्राप्त की उनका भी नियमतिकरण कर दिया गया, परन्तु याचिकाकर्ता का नियमतिकरण नही किया गया। ऐसे दैनिक कर्मी जिन्होने याचिकाकर्ता के बाद हाई स्कूल की शैक्षिणिक अर्हता प्राप्त की इस प्रकार के 61 दैनिक श्रमिकों का विनियमितीकरण कर दिया गया, जबकि इस हेतु वह अपात्र थे। याचिकाकर्ता जिसे 1986 से ही हाई स्कूल की अर्हता प्राप्त थी का नियमितीकरण गलत कारण देते हुए नही किया गया।

2.10 मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 05.10.2024 से याचिकाकर्ता को दी गई सूचना में श्री त्रिलोक सिंह पुत्र जय सिंह जिनका विनियमितीकरण वर्ष, 2003 में वन रक्षक के पद पर किया गया था गलत औचित्य दर्शा कर सही बताने का प्रयास किया गया था। श्री त्रिलोक ने सेवा 01.04.1987 शुरू की थी जो कि याचिकाकर्ता

के विभाग में कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 10.08.1986 के बाद की तिथि थी पर उक्त तिथि को 01.04.1984 को दिखा कर उनका नियमितोकरण कर दिया गया। इसके अलावा श्री त्रिलोक ने हाई स्कूल 1991 में उत्तोर्ण की व इस कारण वे वन रक्षक के पद पर विनियमितीकरण हेतु अपात्र थे व अन्य चतुर्थ वर्गीय पदा पर विनियमितीकरण हेतु पात्र थे, परन्तु इस सन्दर्भ में अपर प्रमुख वन संरक्षक द्वारा तथ्यातमक रिपोर्ट प्रस्तुत न कर उक्त तथ्यों को छिपाया गया।

2.11 याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गयी जानकारी में अपर प्रमुख वन संरक्षक द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 30.09.2024 के तहत सूचित किया है कि 67 दैनिक श्रमिक ऐसे थे जो कि जिस दिन सेवा में आये थे निहित अर्हता हाई स्कूल प्राप्त नही करते थे, परन्तु उन्हे 01.04.1976 से 01.03.1996 के मध्य भर्ती होने की तारीख में ही नियमित कर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह के 57 व्यक्तियो की सूची बनाई गई है जो या तो याचिकाकर्ता से हाई स्कूल की शैक्षिणिक अर्हता न होने के कारण कनिष्ठ थे या अपात्र थे।

3. विपक्षीगण द्वारा लिखित विवेचन दाखिल किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि—

3.1 याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2003 में की गई विनियमितीकरण की कार्यवाही पर आपत्ति व्यक्त की है जो निराधार है। याचिकाकर्ता के कथनानुसार उत्तराखण्ड वन विभाग में समूह 'घ' के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2003 के अनुसार ऐसे कर्मी जिन्होंने याचिकाकर्ता के बाद हाई स्कूल की शैक्षिक अर्हता प्राप्त की थी, के ऊपर यथास्थान रखा जाये व तदनुसार उनकी वर्ष 2003 की नियमितीकरण की तिथि से याचिकाकर्ता को नियमित मानते हुए वरिष्ठता दी जाये, जबकि विनियमितीकरण नियमावली, 2003 के प्रस्तर–4(1)(ख) में दिये गये प्रावधानुसार ऐसे दैनिक श्रमिक को अर्ह माना गया है, जो नियुक्ति के समय उस पद पर नियमित नियुक्ति

के लिये संगत सेवा नियमावली में विहित आपेक्षित अर्हताएं रखता हो, अर्थात दैनिक श्रमिकों को वन रक्षक (समूह घ) के पद पर विनियमित किया जाता है व जिनकी सेवा नियमावली उत्तरांचल (उ0प्र0 अवर अधीनस्थ नियमावली, 1980) के अनुसार अर्हता हाई स्कूल दी गई है। अतः विनियमितीकरण नियमावली, 2003 के अनुसार विनियिमतीकरण की तिथि को ऐसे दैनिक श्रमिक ही अर्ह होंगे, जिन्होंने उस तिथि तक हाई स्कूल उत्तीर्ण कर लिया हो। अलग–अलग समय में हाई स्कूल किये जाने को वरिष्ठता का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

3.2 याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष, 2003 में की गई विनियमितीकरण की कार्यवाही पर आपत्ति व्यक्त की है जिसमें लगभग 22 वर्षों बाद कोई भी सुधार अथवा संशोधन किया जाना संभव नहीं है एवं याचिका कालबाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। इसी संबंध में मा0 अधिकरण द्वारा वन विभाग के ही एक महत्वपूर्ण प्रकरण निर्देश याचिका सं0–63/एसबी/2020 शेखरानन्द नैथानी बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि में पारित आदेश दिनांक 27.05.2022 में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा कालबाधिता के आधार पर खारिज किया गया है। याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु समिति का गठन किया गया था एंव गठित समिति की आख्या के उपरान्त ही याचिकाकता के प्रत्यावेदन का युक्यिुक्त कारणों के साथ निस्तारण किया गया है।

4. याची की ओर से लिखित विवेचन के विरूद्ध प्रत्योत्तर शपथ–पत्र दाखिल किया गया है तथा याचिका में कहे गये तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5. याचिकाकर्ता क विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह तर्क दिया कि उत्तरदातागण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 3634/1998, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम् पुत्ती लाल 2006(6)एस0सी0सी0 337 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2002 के अनुपालन में वन विभाग में कार्यरत दैनिक श्रमिकों के समूह 'घ' के पदों पर विनियमितीकरण करने हेतु विनियमितीकरण नियमावली, 2003 का प्रख्यापन किया गया। वर्ष 2003 में वन रक्षक के पद पर भर्ती हेतु अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 1980 (यथा संशोधित) प्रवृत्त थी, जिसका दिनांक 08.11.2002 के तहत अनूकूलन एवं उपांतरण किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति दैनिक भोगी कर्मी के रूप में वर्ष 1985 में हुई थी लेकिन 18 वर्ष की न्यूनतम आयु वर्ष 1985 में पूर्ण की गयी इसलिए विभाग द्वारा याची की नियुक्ति दिनांक 10.08.1986 से दर्शाया गया है तथा याची, नियुक्ति की तिथि दिनांक 10.08.1986 को निर्धारित हाई स्कूल शैक्षणिक योग्यता धारण करता था। जबकि याची के बाद जिन दैनिक कर्मिकों द्वारा हाई स्कूल की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की गयी उनका भी नियमितीकरण कर दिया गया जिसकी सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 05.10.2024 को प्राप्त हुई। अतः याचिकाकर्ता अपनी दैनिक कर्मी के रूप में नियुक्ति की तिथि से विनियमितीकरण का अधिकारी है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा जिन कर्मियों ने याचिकाकर्ता के बाद हाई स्कूल की शैक्षिणिक योग्यता प्राप्त की, उनका भी विधि विरूद्ध विनियमितीकरण कर दिया गया। ऐसी स्थिति में जिन कर्मियों द्वारा याचिकाकर्ता के बाद हाई स्कूल की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की गयी, को याचिकाकर्ता के ऊपर यथा स्थान पर रखा गया एवं तद्नुसार वर्ष 2003 से उनकी नियुक्ति की तिथि से याचिकाकर्ता को नियमित मानते हुए वरिष्ठता दी जाये तथा उक्त तिथि से ही याचिकाकर्ता की पेंशन एवं सेवा निवृत्ति लाभों की गणना की जायें।

7. जबकि प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुए कहा कि उत्तरदातागण को यह स्वीकार है कि याचिकाकर्ता उत्तरदाता के वन विभाग में दैनिक श्रमिक के रूप में मई 1985 से कार्य पर योजित थे किन्तु 18 वर्ष की आयु वर्ष 1986 में पूर्ण होने पर इनकी वरिष्ठता अगस्त, 1986 से निर्धारित की गयी। विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा यह भी तर्क किया कि मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुसार उत्तरदातागण द्वारा वर्ष 2003 में की गयी विनियमितीकरण की कार्यवाही पर कोई आपत्ति व्यक्त नही की गयी जिसमें लगभग 22 वर्षो बाद कोई भी सुधार अथवा संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः याचिका कालबाधित होने के कारण खारिज होने योग्य है। याचिकाकर्ता द्वारा जिन 57 कर्मियों द्वारा याचिकाकर्ता के बाद हाई स्कूल की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना कहा गया है उनके विनियमितीकरण को चुनौती न देने तथा उन्हें याचिका में पक्षकार न बनाये जाने के कारण भी याचिका पोषणीय नही है एवं खारिज किये जाने योग्य है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता 18 वर्ष की आयु दिनांक 10.08.1986 को पूर्ण करने पर वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत रहा और उक्त तिथि को याचिकाकर्ता हाई स्कूल शैक्षणिक योग्यता धारित था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 3634/1998, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम् पुत्ती लाल 2006(6)एस0सी0सी0 337 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2002 के अनुपालन में वन विभाग द्वारा गठित चयन समिति द्वारा वन रक्षक के पद पर विनियमितीकरण हेतु दैनिक श्रमिकों का चयन कर कुल 8 सूचियां प्रस्तुत की जिनके आधार पर नियुक्ति अधिकारियों द्वारा वन रक्षक के पद हेतु वर्ष 2003 में एवं वर्ष 2005 में आदेश जारी किये लेकिन उक्त विनियमितीकरण आदेशों को याचिकाकर्ता द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गयी और 22

वर्षो से अधिक समय व्यतीत होने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा पुनः एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसे गठित समिति के आख्या के आधार पर निस्तारित किया गया कि ''श्री शशि वर्धन अधिकारी की विभाग में कार्य करने पर विनियमितीकरण हेतु पात्रता की तिथि दिनांक 10 अगस्त 1986 थी। वरिष्ठता में कनिष्ठ होने के करण श्री शशि वर्धन अधिकारी का विनियमितीकरण वर्ष 2003 में नहीं हो पाया। मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या– 1431/21–5 दिनांक 4 अप्रैल, 2018 (प्रति संलग्न) द्वारा भी पूर्व में श्रो शशि वर्धन अधिकारी के प्रत्यावेदन का निस्तारण कर दिया गया था''।

9. अतः याचिकाकर्ता के द्वारा वर्ष 2003 में किये गये विनियमितीकरण के विरूद्ध कोई चुनौती नहीं दी गयी थी, साथ ही जिन 57 दैनिक कर्मियों को याचिकाकर्ता द्वारा हाई स्कूल की शैक्षणिक योग्यता न होने के कारण कनिष्ठ एवं अपात्र होना कहा गया है, को भी अपनी याचिका में पक्षकार नही बनाया गया है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता की याचिका कालबाधित होने एवं कथित 57 दैनिक कर्मियों को अपनी याचिका में पक्षकार न बनाये जाने के कारण पोषणीय नही है एवं खारिज होने योग्य है।

निर्णय

याचिकाकर्ता की याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(अरूण सिंह रावत)
उपाध्यक्ष(प्रशा0)

(राजेन्द्र सिंह)
कार्यवाहक अध्यक्ष

दिनांकः फरवरी 19, 2026
देहरादून
के.एन.पी./रेनू